संख्या 1/3/96-का-4-2005

प्रेषक,

नीरा यादव
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2005

महोदय,

वर्तमान स्थानान्तरणों हेतु शासन ने कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 1/3/96-का-4/2005, दिनांक 12 मई, 2005 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है।

2. उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त स्थानान्तरित अधिकारी व कर्मचारी दिनांक 15-6-2005 तक बिना अपने प्रतिस्थानी के लिए रूकते हुये तथा बिना कार्यभार ग्रहण काल का उपयोग किये हुये पुरानी तैनाती के स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती पर कार्यभार ग्रहण कर लें।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि समस्त नियंत्रण अधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्तानुसार कार्यमुक्त करना तत्काल सुनिश्चित करें और स्थानांतरित अधिकारियों का दायित्व है कि वे बिना कार्यभार ग्रहण काल का उपयोग किये हुये तत्काल नवीन स्थान पर दिनांक 15-6-2005 तक कार्यभार ग्रहण करें। यदि कहीं यह सुनिश्चित नहीं हो पाया है तो कारण सहित सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव दिनांक 16-6-2005 को पत्र के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुये मुझे अवगत करायें। प्रत्येक प्रमुख सचिव/सचिव अपने विभाग से सम्बन्धित अनुपालन आख्या मुझे दिनांक 16-6-2005 को अवश्य भेजें।

4. जो अधिकारी/कर्मचारी अपने स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त अथवा परिवर्तित कराने का प्रयास करेंगे उन्हें तत्काल निलम्बित कर दिया जायेगा।

5. जो नियंत्रक प्राधिकारी, स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवमुक्त करने में शिथिलता बरतेंगे, उनके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी।

6. उपर्युक्त आदेशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(नीरा यादव)
मुख्य सचिव।